प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 64 सन 2021
अनवान :–

1. मन्नेसिह पुत्र हनुमानसिह जाति राजपूत निवासी भाखरवाली तहसील फतेहपुर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :–

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 30/158 की कुल 5.0580हैक में से 1/4 हिस्सा, एवं खाता संख्या 36/115 की कुल 15.4160हैक में से 9633/77080 हिस्सा भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण मनीराम सिह पुत्र हनुमान सिह दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम मन्नेसिह पुत्र हनुमानसिह है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम मन्नेसिह पुत्र हनुमान सिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड वाद भूमि में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया पेरोकार राज ने जबाव पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 30/158 की कुल 5.0580हैक में से 1/4 हिस्सा, एवं खाता संख्या 36/115 की कुल 15.4160हैक में से 9633/77080 हिस्सा भूमि प्रार्थी का खातेदार काश्तकार है।

जिसमें प्रार्थी का नाम मनीरामसिह पुत्र हनुमानसिह दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम मन्नेसिह पुत्र हनुमानसिह है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में प्रार्थी का नाम मन्नेसिह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 30/158 की कुल 5.0580हैक्‍ में से 1/4 हिस्सा, एवं खाता संख्या 36/115 की कुल 15.4160हैक्‍ में से 9633/77080 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम मनीराम सिह पुत्र हनुमानसिह अंकित है के स्थान पर मन्नेसिह उर्फ मनीराम सिह पुत्र हनुमानसिह संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को प्रशासन गांव कें संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट –टोपरिया

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 35 दिनांक :– 05/10/2021

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 64 / 2020 अनवानी मन्नेसिह बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–
1. मन्नेसिह पुत्र हनुमानसिह जाति राजपूत साकिन भाखरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में दिनांक 05.10.2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 30 / 158 की कुल 5.0580हैक में से 1 / 4 हिस्सा, एवं खाता संख्या 36 / 115 की कुल 15.4160हैक में से 9633 / 77080 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम मनीराम सिह पुत्र हनुमानसिह अंकित है के स्थान पर मन्नेसिह उर्फ मनीराम पुत्र हनुमानसिह संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
(हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान–2021
कैम्प कोर्ट टोपरिया

Scanned with CamScanner